न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः—हरभान मीणा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः—178/2018/225 आरटीए

राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री रामलाल, आयु—58 वर्ष, जाति जाट (सहारण) निवासी वार्ड नम्बर—23, नई आबादी, रावतसर रोड़, गली नम्बर—11 के सामने, हनुमानगढ़ टाऊन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——अपीलांट

बनाम

1. देवेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री रामलाल, आयु—63 वर्ष, जाति जाट (सहारण) निवासी वार्ड नम्बर—23, नई आबादी रावतसर रोड़, गली नम्बर—11 के सामने, हनुमानगढ़ टाऊन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. उपपंजीयक हनुमानगढ़, कार्यालय उपपंजीयक हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. स्टेट जरिये तसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 01.06.2018 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़ राजस्व वाद संख्या 286/2016

उपस्थितः—

1. श्री लालचन्द बर्मा, अधिवक्ता—अपीलांट
2. श्री दिनेशचन्द्र शर्मा—अधिवक्ता—रेस्पोडेंट सं0 1
3. श्री के0एस0 खोसा—राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः—10.07.2018

1. प्रकरण के तथ्य सक्षेंप मे इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 188 सपठित धारा 92—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एक वादपत्र इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 सगे भाई हैं। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 के मध्य कृषि भूमि चक 1 एस. एन.एम. के सम्बन्ध में विवाद था। यह विवाद स्थाई लोक अदालत (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) हनुमानगढ़ के समक्ष समझाईश हेतु प्रकरण संख्या 17/92 के रूप में दर्ज हुआ। माननीय स्थाई लोक अदालत ने समझाईश

उपरान्त अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 के मध्य उत्पन्न विवाद को तय करने हेतु सेवानिवृत न्यायाधीश श्री प्रेम प्रताप सिहं आर.एच.जे.एस. को मध्यस्थ नियुक्त किया तथा उक्त मध्यस्थ महोदय को अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 के मध्य विवाद तय करने हेतु अधिकृत किया कि देवेन्द्र कुमार को मिलने वाली राशि में से राजेन्द्र कुमार को कोई हिस्सा दिया जावे अथवा नहीं इसका निर्णय इन दोनों के मध्य अन्य हिसाब के साथ श्री प्रेम प्रताप सिहं आर.एच.जे. एस. द्वारा अलग से किया जावेगा और श्री प्रेमप्रताप सिहं द्वारा दिये गये अवार्ड से दोनों पक्ष पाबन्द होगें। मध्यस्थ महोदय श्री प्रेमप्रताप सिहं ने यह मध्यस्थता की कार्यवाही श्री शिवप्रकाश सहारण एवं श्री रणधीर सिहं के साथ मिलकर की व दिनांक 12.06.2001 को अवार्ड पारित किया। इस अवार्ड में रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम की 4 बीघा 10 बिस्वा अपीलांट को एवं अपीलांट की 5 बीघा जमीन मय टयूबवैल रेस्पोडेंट संख्या 1 को दी जानी है। रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम की कृषि भूमि चक 6 एसएनएम के खाता संख्या 45/43 पत्थर नम्बर 114/282 (58) के किला नम्बर 1 से 4 व पत्थर नम्बर 113/282 (59) किला नम्बर 5 कुल 5 बीघा जो मुमकिन 4 बीघा 10 बिस्वा व गैरमुमकिन 0.10 बिस्वा है तथा अपीलांट की कृषि भूमि चक 1 एस.एन.एम. खाता संख्या 30/31 पत्थर नम्बर 115/278 (12) किला नम्बर 16 से 20 कुल 5 बीघा है। इस अवार्ड के विरूद्व रेस्पोडेंट संख्या 1 ने माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाऐं प्रस्तुत की जो खारिज फरमाई जा चुकी है तथा इस प्रकार स्थाई लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड अंतिम व बाध्यकारी हो चुका है। अपीलांट ने यह रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा इस अवार्ड को व्यग्र करने के आशय से उक्त वर्णित चक 6 एस.एन.एम. की भूमि अन्य व्यक्तियों को बैय व मुन्तकिल करने एवं इस भूमि में मिट्टी खनन कर खुर्द–बुर्द करने की धमकी देने पर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट संख्या 1 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदत किये जाने का निवेदन किया कि वह अपने नाम की प्रश्नगत 5 बीघा भूमि अन्य व्यक्तियों को रहन बैय व मुन्तकिल नहीं करें व इस भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द नहीं करें।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का यह वादपत्र अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार करते हुये खारिज किया है। जिससे व्यथित होकर

अपीलांट यह अपील प्रस्तुत की है तथा अपील ज्ञापन में यह आधार लिये है कि अपीलांट ने स्थाई लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड के अन्तर्गत हासिल विधिक अधिकारों के हनन होने पर अपीलांट को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 सपठित धारा 92–ए के अन्तर्गत विधि अनुसार उपचार उपलब्ध था तथा यह वादपत्र अनन्यतः राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार का था। अपीलांट ने अपने वादपत्र में वाद कारण प्रकट किया है तथा प्रश्नगत भूमि को रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा खुर्द–बुर्द किये जाने व बैय व मुन्तकिल करने की धमकी देने पर राजस्व न्यायालय का हस्तक्षेप कानून वर्जित नहीं था। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में उठाई गई आपतियां तथ्यपरक थी तथ जबावदावा प्रस्तुत होने के उपरान्त विवाधक विरचित कर दोनों पक्षों की साक्ष्य लेखबद्व किये जाने के उपरान्त तय किये जाने योग्य थी। रेस्पोडेंट संख्या 1 स्थाई लोक अदालत के अवार्ड को माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक चुनौती दी तथा उसमें असफल रहा। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उक्त अवार्ड में तय हुये अधिकारों से विमुख होने के आशय से व इस अवार्ड के सम्बन्ध में अपने लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने से बचने के लिये मिथ्या आधारों पर यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया तथा लगभग दो वर्ष तक जबावदावा प्रस्तुत न कर न्यायिक प्रक्रिया दुरूपयोग किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अवार्ड की इजराय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व सिविल न्यायालय में विचाराधीन होने मात्र से इस वादपत्र का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार हासिल न होने का मत पारित कर वादपत्र खारिज किये जाने में भूल की है।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये यह कथन किया है कि प्रश्नगत भूमि चक 6 एस.एन.एम. खाता संख्या 45/43 पत्थर नम्बर 114/282 (58) किला नम्बर 1 से 4 व पत्थर नम्बर 113/282 (59) के किला नम्बर 5 की कुल 5 बीघा मय गैरमुमकिन भूमि में अपीलांट के हित अंतिम रूप से तय हो चुके हैं तथा इस भूमि में रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा मिट्टी खनन कर खुर्द–बुर्द करने व अन्य व्यक्तियों को बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्व किये जाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र राजस्व न्यायालय के समक्ष पोषणीय था। अधीनस्थ न्यायालय ने स्थाई लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड के निष्पादन की कार्यवाही सिविल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने का आधार लेकर अपीलांट का वादपत्र

खारिज किये जाने में विधिक भूल की है। अपने तर्क के समर्थन में आरआरडी 2010 पृष्ठ 87, आर.आर.डी. 2011 पृष्ठ 603, आर.आर.डी. 2012 पृष्ठ 842 व डी.एन.जे. 2016 (रेवेन्यू) पृष्ठ 105 प्रस्तुत किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपील में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुये कथन किये कि प्रश्नगत 5 बीघा भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 की खातेदारी भूमि है तथा स्थाई लोक अदालत का अवार्ड गलत पारित हुआ है। मध्यस्थ श्री प्रेमप्रताप सिहं को सिर्फ अपीलांट व रेस्पोडेट संख्या 1 के मध्य आपसी हिसाब–किताब के सम्बन्ध में ही निर्णय दिया जाना था। रेस्पोडेट ने इस अवार्ड के सम्बन्ध में निष्पादन न्यायालय के समक्ष आपति की हुई है। यह भी तर्क दिया किया कि अपीलांट ने निष्पादन न्यायालय के समक्ष भी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट संख्या 1 के विरूद्व प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में स्थगन जारी किये जाने का निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस अवार्ड के सम्बन्ध में स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं हैं तथा ना ही इस अवार्ड के सम्बन्ध में कोई निर्णय पारित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को है। अधीनस्थ न्यायालय ने क्षैत्राधिकार के आधार पर अपीलांट का वादपत्र विधि सम्मत रूप से खारिज किया है।

5. उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट/वादी ने यह वादपत्र दिनांक 12.06.2001 को पारित अवार्ड के आधार पर प्रश्नगत कृषि भूमि चक 6 एस. एन.एम. में अधिकार सृजित होने का कथन करते हुये रेस्पोडेंट संख्या 1 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है तथा इस वादपत्र में रेस्पोडेंट संख्या 1 के विरूद्व वाद कारण प्रकट होने का भी कथन किया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने इस वादपत्र में लम्बे समय तक जबावदावा प्रस्तुत न कर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 7 नियम 11 सी.पी.सी. प्रस्तुत करते हुये अपीलांट को वादकारण हासिल नहीं होने व यह वादपत्र राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नहीं होने का कथन किया है। अपीलांट ने इस प्रार्थना–पत्र का जबाव प्रस्तुत करते हुये अवार्ड दिनांक 12.06.2001 माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक अंतिम रूप से बहाल रहने से प्रश्नगत भूमि में अपना हित नीहित होने के कथन किये हैं। रेस्पोडेट संख्या 1 ने जबावदावा प्रस्तुत न कर वादपत्र के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिवचनों का खण्डन नहीं किया है। वादपत्र में किये गये अभिवचन साक्ष्यपरक हैं तथा वादपत्र के अभिवचन एवं सार से अपीलांट ने स्थाई लोक अदालत के अवार्ड की व्याख्या करते हुये कोई अनुतोष नहीं चाहा है बल्कि यह अवार्ड अंतिम हो जाने से इस अवार्ड के अनुसार नीहित हो चुके अधिकारों की सुरक्षा के लिये रेस्पोडेंट संख्या 1 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 1 का जबावदावा प्रस्तुत होने से पूर्व क्षैत्राधिकारिता का बिन्दू बिना विवेचन तय करते यह वादपत्र खारिज करने में विधिक भूल की है। जबकि क्षेत्राधिकारिता होने या ना होने संबंधी बिन्दू तय करते समय क्षेत्राधिकारिता पर विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2018 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.2018 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर विवाधक विरचित कर क्षैत्राधिकारिता के बिन्दू पर पूर्ण रूप विवेचन करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित लौटाई जावे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.08.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.07.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official